न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–जीसीएमएस नं. 2022/10

1. भैरू पुत्र किशना(मृतक),
   1/1. सुभाष पुत्र स्व. श्री भैरू पुत्र किशना,
   1/2. हंसराज पत्र स्व. श्री भैरू पुत्र किशना,
   1/3. सुमन पुत्री स्व. श्री भैरू पुत्र किशना,
   1/4. मनीषा पुत्री स्व. श्री भैरू पुत्र किशना, पत्नी सुरेश, जाति जाट निवासी कूडकेला, जिला जयपुर।
   1/5. श्रीमती मन्नीदेवी पत्नी स्व. श्री भैरू पुत्र किशना,
2. रूघनाथ पि. रामसहाय,
3. कालू पि. रामसहाय,
4. श्रवण पि. रामसहाय,

समस्त जाति जाट निवासी रतनपुरा जाटान, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. नाथू पि0 रामसहाय, जाति जाट, निवासी रतनपुरा जाटान, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री महावीर प्रसाद शेरावत, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 22.08.2022

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.10.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि प्राकृतिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धान्त (सुनवाई का अधिकार) के अनुसार किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई आदेश पारित किये जाने से पूर्व उस व्यक्ति को सुनवाई का समुचित व पूर्ण अवसर दिया जाना कानूनन आवश्यक होता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट को कतई पक्षकार नही बनाया गया व न ही सुनवाई का कोई मौका ही दिया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय के लिये यह आवश्यक था कि वे कानूनी प्रावधानों का पालन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व हितप्रभावी एवं प्रभावित पक्षकारान जिनके विरुद्ध

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

आदेश पारित किया जाना है उन्हे पक्षकार बनाकर सुनवाई हेतु नोटिस प्रेषित कर साक्ष्य, सबूत प्राप्त करके ही मैरिट्स पर निर्णय करते किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आनन–फानन में अपीलार्थीगण को बिना कोई अवसर दिये ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो हर सूरत में निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 11.06.2020 के पैरा संख्या 4 से स्पष्ट जाहिर है कि अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है तथा रिकार्डेड खातेदार काश्तकार की भूमि पर किसी भी पक्षकार से बिना अधिग्रहण किये एवं बिना कोई मुआवजा प्रदान किये कानूनन उनके खातेदारी अधिकारों को समाप्त नही किया जा सकता किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपरोक्त रिकार्ड उपलब्ध होने के बावजूद भी अपीलार्थीगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कतई विधि सम्मत नही है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन समस्त ग्रामवासी भीखावाला की ओर से प्रस्तुत किया गया है जिसमें केवल सरकार को पक्षकार बनाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित करवाया गया है जबकि विधिक रूप से आवश्यक है कि किसी व्यक्ति की खातेदारी की भूमि पर कोई कार्यवाही की जाती है तो उसके राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन किया जाता है तो पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिये है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध एवं कानूनी प्रावधानों के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि भैरू पुत्र किशना की मृत्यु दिनांक 10.09.2013 को अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व ही करीब 8 वर्ष पूर्व हो चुकी है इसी प्रकार से श्रीमती पारादेवी पत्नी रामसहाय की भी मृत्यु भी अपीलाधीन आदेश पारित करने से काफी अर्से पूर्व दिनांक 17.04.2010 को हो चुकी है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश मृत व्यक्तियों के खिलाफ होने से भी निरस्तनीय हैं। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई जानकारी नही हो पाई, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा में एवं मृत व्यक्तियों के खिलाफ अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है तथा जैसे ही अधीनस्थ न्यायालय को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई, अपीलान्ट ने अपीलाधीन निर्णय की नकल का प्रार्थना प्रस्तुत करवाकर नकल प्राप्त की तथा नकल प्राप्त होने के पश्चात् अभिभाषक नियुक्त करके तुरन्त बिना किसी देरी के न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है तथा उक्त विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु अपीलार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें तथा अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.10.2021 को निरस्त फरमाया जावें।

P.T.O.

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया है कि समस्त ग्रामवासी भीखावाला द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार की जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन गांवों के संग में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.10.2021 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थीगण वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड काबिज काश्तकार है जिसकी पुष्टि तहसीलदार जमवारामगढ़ की रिपोर्ट दिनांक 11.06.2020 से होती है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.10.2021 पारित किया गया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से उसे उचित नही ठहराया जा सकता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारागगढ़ जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.10.2021 को अपीलार्थीगण की आराजी की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जामर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।